

MAHILA VIRUDDH APRADH, ANVESHAN, DISHA NIRDESH: EK ADHYAYAN

Pragati Patel ¹,

¹ Assistant Professor, Department of Law, Rajeev Gandhi College, Madhya Pradesh, India

ABSTRACT

मानव अपराधों में एक रूपता लाने हेतु संगठन की व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा इसके समान अंगों की विधिवत ढंग से संचालित करने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। महिला उत्पत्ती के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये महत्वपूर्ण निर्देशों के उपरांत भी महिलाओं के प्रति व्यवहारिक एक रूपता का अभाव से रहा है। कई प्रकार से विधियों एवं अधिनियमों में व्यवस्था के बावजूद संशोधन किये गये महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना में उत्कृष्टता लाने हेतु संकलित आदेश / निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। वस्तुतः संगठन का वह अमूर्त तत्व तथा प्रक्रिया है जो अन्य स्वरूपों में अपना कार्य करता है तथा संगठन की प्रक्रियाओं, जैसे - संचार, समन्वय, पर्यवेक्षण सत्ता तथा उत्तरदायित्व इत्यादि से वाय मिल गया है। बहुधा निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय जाँच पड़ताल तथा नियंत्रण एक जैसे ही प्रतीत होते हैं जबकि इनमें काफी अंतर है।

Keyword - अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध, अपराध

भूमिका

शब्द कोणीय दृष्टि से नियंत्रण - "निर्देश देने आदेश देने तथा प्रबंध करने की सत्ता या इच्छित नियंत्रण है या किसी चीज का प्रबंध अथवा प्रतिबंध नियंत्रण है"। किसी संगठन की संरचना तथा कार्यप्रणाली अपने आप में नियंत्रण का एक स्वरूप होती है नियंत्रण अधिकांशतः मान व्यवहार पर किया जाता है जो कि संगठन की संरचना एवं उत्तरदायित्व नियम, कानून, प्रक्रियाएँ तथा कार्य विधियाँ आचार संहिताएँ एवं सेवा शर्तें नीति योजना, कार्यक्रम तथा आदेशों में वर्णित प्रावधान कर्तव्यों की सेवाएँ आदि विभिन्न पहलुओं पर होता है।

महिला उत्पत्ती के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के उपरांत भी जिलों में महिला थाना के कार्य में एक रूपता का अभाव हो गया है कि पूर्व प्रेषित आदेश निर्देशों में समयानुकूल आवश्यक परिवर्तन, संशोधन तथा परिमार्जन कर संकलित आदेश / निर्देश जारी किये जावें। महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना में उत्कृष्टता लाने हेतु संकलित आदेश निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिसका पालन सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं पर घटित अपराधों में महिला / उसके परिवार जन द्वारा थाना / महिला थाना में रिपोर्ट करने पर तुरंत धारा 454 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिये | थाने पर रिपोर्ट होने पर जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया से बचा जाना चाहिये | प्रथम सूचना पत्र में घटना से संबंधित परिस्थितियों का विवरण अपराधियों के नाम, पता, हुलिया तथा साक्षियों के नाम एवं पता का उल्लेख होना चाहिये, जो विवेचना में सहायक होता है।

प्रथम सूचना पत्र में नकारात्मक बिन्दुओं के उल्लेख से बचा जाना चाहिये । देहात भ्रमण के दौरान अपराध की जानकारी उपलब्ध होने अथवा सूचना मिलने पर शून्य पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रारम्भिक कार्यवाही जैसे घायल का

चिकित्सीय परीक्षण / उपचार व घटना स्थल की सुरक्षा एवं उसका निरीक्षण, लाश का पंचायतनामा व फोटोग्राफी, शव परीक्षण आदि पूर्ण करने के पश्चात ही विशेष वाहक के माध्यम से प्रकरण संबंधित थाने को असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु भेजा जाना चाहिये।

प्रायः देखा गया है कि प्रकरण में पुलिस की सक्रियता आहत महिला की मृत्यु से प्रारंभ होती है तब तक अधिकांश भौतिक साक्ष्य समाप्त हो चुके होते हैं। इसका दुष्परिणाम अपराधिक प्रकरणों के निराकरण पर तो पड़ता ही है, जन सामान्य तथा पीड़ित पक्ष की निगाह में पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। अतः आवश्यक है इस तरह के प्रकरणों के घटित होने के तत्काल बाद पुलिस अनुसंधान पूर्ण सक्रियता से प्रारंभ किया जावे। इस प्रकरणों में कार्यवाही करना संबंधित राजपत्रित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

ऐसे प्रकरणों में सभी अस्पतालों की मॉनीटरिंग की जानी चाहिये। जिस किसी भी थाना क्षेत्र में जहाँ अस्पताल है, यदि इस प्रकरण आते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी /नगर पुलिस अधिक्षक को मजिहला के जलने पर भर्ती होने पर त्वरित सूचना दी जाना चाहिये। तदनुसार कार्यवाही हेतु समस्त अस्पतालों को निर्देशित करें ।

किसी नवविवाहिता के जलने की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित राजपत्रित अधिकारी को इसकी सूचना दी जावे। जिस अस्पताल से चौकी /सहायता केंद्र में पदस्थ पुलिस कर्मचारी जिला नियंत्रण कक्ष /राजपत्रित अधिकारी थाना प्रभारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में आहत महिला का कथन राजपत्रित अधिकारी द्वारा तत्काल लिया जाना चाहिए तथा उसे विश्वास में लिया जाकर शांति पूर्वक कथन लिपिबद्ध किया जाना चाहिये ।

जलने की घटना के घटनास्थल का थाना प्रभारी तथा संबंधित राजपत्रित अधिकारी तत्काल निरीक्षण करें तथा एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों से भी घटना स्थल का निरीक्षण / फोटो कराई जाना अति आवश्यक है। यदि विवाहित महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर होती है तो कार्यवाही का आधार धारा 174 द.प्र.सं. के खण्ड 3 में स्पष्ट है जिसके अनुसार अनुसंधान धारा 176 द. प्र.सं.के तहत मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी। इस हेतु घटना की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को तहरीर भेजी जाये।

गंभीर प्रकरणों में विवेचना

महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों विशेष कर अविवाहित एवं नवविवाहित महिलाओं की अकाल मृत्यु, संदिग्ध मृत्यु एवं हत्या में विवेचना त्वरित गति से एवं सतकता पूर्वक की जावे ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य न विलोपित हो और न ही विस्मृत हो सकें। मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल को सुरक्षित कर प्रत्येक प्रकरण में नक्शा तैयार किया जाना चाहिये। संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण के समान ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाना चाहिये। अनुभव के आधार पर छोटे से छोटे सुराग, की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, ताकि आवश्यकतानुसार साक्ष्य हेतु जप्त कर उसे संरक्षित किया जा सकें।

यदि किसी महिला द्वारा स्वयं की उत्पीड़न की रिपोर्ट थाने पर आकर की जाती है तो तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी जानी चाहिये। जहाँ तक संभव हो शव का पंचनामा मृतिका के परिजनो को बुलाकर उनकी उपस्थिति में ही किया जावे ताकि उन्हें मृतिका की मृत्यु में कोई शक न रहे। उन्हें पंचायतनामों के साक्षी के रूप में भी रखा जा सकता है। मृतिका के मायके की ओर से मौत के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावे। लाश एवं घटना स्थल के फोटोग्राफ विभिन्न कोण से लिये जावे । गंभीर अपराध विशेषकर दहेज हत्या, आग से जपने आदि के प्रकरण में घटना स्थल एवं शव परीक्षण की वीडियो शूटिंग अवश्य कर लेना चाहिये।

घटना स्थल का निरीक्षण / परीक्षण जिले में पदस्थ विधिविज्ञान विशेषज्ञ से अवश्य कराया जावे। फिंगरप्रिंट एवं फुटप्रिंट के लिये अंगुलिचिन्ह विशेषज्ञ की सेवाएं अवश्य ली जावे। विधिविज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजी जाने वाली वस्तुएं अविलम्ब भेजी जावे। विलम्ब से भेजने पर प्रायः विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय में समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्यायालयीन निराकरण पर पड़ता है और लाभ अपराधी को मिलता है।

मरणासन्न कथन

नवविवाहिता के गंभीर रूप से जलने "घायल होने की रिपोर्ट पर तत्काल घटना स्थल सुरक्षित कर स्थानीय चिकित्सालय में ही उससे पूछताछ की जानी चाहिये। यदि अग्निदग्धा / आहत स्त्री की दशा गंभीर हो तो तत्काल उसका मरणासन्न कथन करा लेना चाहिये।

धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मरणासन्न कथन एक अति महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसे लिपिबद्ध करने में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

यदि दण्डाधिकारी अथवा डाक्टर तत्काल उपलब्ध न हो तो स्वयं पुलिस अधिकारी दो अथवा अधिक साक्षीगणों के समक्ष मरणासन्न कथन ले सकता है। मरणासन्न कथन प्रश्न तथा उत्तर के रूप में ही लेख किया जाना चाहिये। दण्डाधिकारी एवं डाक्टर की अनुपलब्धता होने एवं पुलिस अधिकारी द्वारा मरणासन्न कथन लिखे जाने के तथ्यों को कारण सहित लेख करना चाहिये।

मरणासन्न कथन लेख करने से पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों को वहां से हटा देना चाहिये ताकि महिला किसी प्रकार के मानसिक दबाव में न रहें। रूढ़िगत परम्पराओं अथवा नारी सूलभ लज्जावश सही कथन देने में संकोच न करें। ऐसी समझाईश उसे देनी चाहिये। धारा 306 /304बी आत्महत्या तथा दहेज मृत्यु:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जब तक परिस्थितियां एक दम असहनीय न हो जाये तब तक कोई महिला आत्महत्या नहीं करती है। अतः आत्महत्या के प्रकरणों की जांच उक्त अभिमत को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्मता से की जानी चाहिये। साथ ही आत्महत्या के कारणों का पता लगये बिना मर्ग जांच नस्तीबद्ध नहीं की जानी चाहिये। ऐसी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये जो दैनिक व्यवहार में दहेज अथवा अन्य कारणों से महिला को प्रताड़ित करते हैं और उनके द्वारा प्रताड़ित महिलायें आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या के पूर्व छोड़े गये पत्र /नोट का काफी महत्व होता है, किन्तु मात्र पत्र /नोट को आधार मानकर ही जांच नहीं की जानी चाहिये। मृतिका के मायके के लोगों और पड़ोसियों के कथन तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी एकत्र किया जाना चाहिये।

इस संभावना को एकदम नकारा नहीं जाना चाहिये कि मृत्यु पूर्व नोट /पत्र ससुराल पक्ष द्वारा दबाव डालकर मृतिका से लिखवाया गया है। मृतिका द्वारा अपने परिजनों तथा मित्रों को मृत्यु की तिथि के आसपास लिखे गये पत्र भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। अतः उक्त पत्रों की भी हस्तलिपित विशेषज्ञ से जांच कराई जानी चाहिये। नवविवाहिता के प्रकरण में दहेज प्रताड़ना से हुई मृत्यु पर धारा 304 बी भादवि का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये। पारिवारिक हिंसा की शिकायत को भी गंभीरता से लिया जाकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिये। क्योंकि इस हिंसा से अंततः आत्महत्या अथवा हत्या होने की संभावना सदैव बनी रहती है।

498 ए: प्रताड़ना

दहेज की मांग को लेकर अथवा अन्य कारण से ससुराल पक्ष /पति नवविवाहिता को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर उक्त धारा के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।

करता में शारीरिक कुरता के साथ मानसिक प्रताड़ना भी निहित मानी गयी है। ससुराल पक्ष द्वारा यातना देने के बाद भी यदि महिला को पति के घर पर रहना पड़ता हो तो यह मानसिक ब्रताड़ना का प्रकरण हो सकता है। प्रताड़ना का अपराध एक निरंतर अपराध है। द.प्र.सं. की धारा 479 सी के अनुसार इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि हज्जों अपराध लगातार घटित होने के स्वरूप का है और एक से अधिक स्थानीय जगहों पर अपराध घटित होना जारी रहे तो इसकी जांच अपराध के प्रारंभ होने से अंत तक के किसी भी क्षेत्र के थाना अंतर्गत हो सकेगी व किसी भी स्थानीय क्षेत्राधिका वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकेगा।

प्रकरण दहेज प्रताड़ना का हो तो धारा 498 ए भागवि के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1964 की धारा 3 व 4 का भी उपयोग किया जाना चाहिये। दहेज प्राप्ति हेतु मौखिक अथवा लिखित, शारीरिक क्षति की धपकी दी गयी हो तो धारा 506, 507 भादवि का उपयोग किया जाना चाहिये। दहेज की सामग्री ससुराल पक्ष के लोग यदि दुर्भावनावश अपने कब्जे में रखते हैं तो धारा 405, 406 भादवि का अपराध होगा।

धारा 376 में वर्णित अपराध

दुष्कर्म की शिकार महिला सदमें में रहती है। अतः विवेचना के दौरान यथासंभव महिला पुलिस कर्मी द्वारा ही पीड़ित महिला के घर पर ही जाकर पूछताछ की जानी चाहिये।

दुष्कर्म के प्रकरणों की विवेचना में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। इन प्रकरणों में प्रायः चश्मदीद साक्षियों का अभाव होता है। अतः तत्काल घटना स्थल पर पहुँचकर आवश्यक परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र की जाना चाहिये। चिकित्सा जांच रिपोर्ट विवेचना में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। अतः चिकित्सा जांच तत्काल करायी जानी चाहिये।

दुष्कर्म के प्रकरणों में डीएनए परीक्षण जहाँ आवश्यक है अविलम्ब कराना चाहिये। अबोध बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम हेतु जन जागृति शिविरों माध्यम से अभिभावकों को परिचितों रिश्तेदारों आदि से सावधान रहने हेतु शिक्षित किया जाना चाहिये।

स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा विवाह अथवा प्रलोभन देकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का यौन शोषण करने की शिकायत आती रहती है। पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट पर धारा 376 भादवि के अंतर्गत प्रकरण कायम किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार भा-द.वि. की अन्य धाराएँ अथवा अन्य अधिनियमों की धारायें भी लगाई जा सकती है। दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखते समय अश्लील शब्दों का प्रयोग जहाँ तक संभव हो कम से कम किया जावे।

धारा 354 / 509: छेड़छाड़

छेड़छाड़ की घटनायें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तुरन्त आपराधिक प्रकरण कायम कर कार्यवाही करना चाहिये। महिलायें थाने पर आकर रिपोर्ट करने में संकोच करती है। ऐसी स्थिति में छेड़छाड़ की घटना के संबंध में सूचना मिलते ही तुरन्त सत्यापन कर आरोपी के विरुद्ध सटीक प्रतिबंधात्मक और भा.द.वि. के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने व बंद होने के समय उनके आसपास के क्षेत्र में पुलिस गश्त की व्यवस्था अति आवश्यक है। यह तथ्य विचारणीय है कि धारा 354 व 504 में क्या लिखित है:

- 354 - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उपर पर आपराधिक बल या हमला / 2 वर्ष की तो कारावास हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्ड किया जावेगा ।
- 504 - शब्द अंगविक्षेय या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशोधित है एक वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों।

सिनेमा हॉल, पार्क मंदिर तथा भीड़भाड़ वाले कुछ चुने स्थानों, मेला सामाजिक /सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क रखने के लिये सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मचारी लगाये जावे। महिलाओं एवं छात्राओं में साहस तथा आत्मविश्वास पैदा करने के लिये चेतना शिविरों का आयोजन किया जावे। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख से सम्पर्क रखकर उनसे छेड़छाड़ से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका समुचित वैधानिक निदान करना चाहिये। इससे पुलिस पर छात्राओं एवं महिलाओं का विश्वास निश्चित ही बढ़ेगा।

महिलाओं या छात्राओं द्वारा रिपोर्ट करने पर उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया जावे। यदि संभव हो तो महिलाओं के कथन महिला अधिकारी द्वारा ही लिखे जावे। पीड़ित महिला को बार-बार थाने पर न बुलाया जाकर उसके निवास स्थान पर ही पूछताछ की जावे। इससे पीड़ित महिला पुलिस कार्यवाही में अधिक सहयोग दे सकेगी । आवेदिका के अवयस्क होने की दशा में उसके परिजनों की उपस्थिति में ही उससे पूछताछ की जावे। पीड़ित महिला से उसके पूर्व चरित्र या सम्मान से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार पूछा जाना चाहिये कि उसमें एवं उसके परिजनों में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना बनी रहे।

धारा 363 रू 366: अपहरण

बालिग अथवा नाबालिग महिलाओं के गुम होने की सूचना को पूरी गंभीरता तथा संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिये। बालिका अथवा महिला के दस्तयाबा होने पर उसके द्वारा दिये गये कथनों का सूक्ष्म सत्यापन किया जाना चाहिये। सत्यापन कर अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिये।

गुम या अपहृता महिला के मिलते ही उसका कथन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के समक्ष कराकर उसे उसके माता पिता को सौंप देना चाहिये। यदि उसके परिजन उसे साथ न ले जाना चाहे तो उसके नारी निकेतन या निराश्रित महिला गृह में भिजवा दिया जाना चाहिये। गुम अथवा अपहृता महिलाओं के प्रकरणों में इस संभावना की सूक्ष्मता से समीक्षा की जानी चाहिये कि प्रकरण इन युवतियों के कय-विकय का तो नहीं है। ऐसे प्रकरणों में धारा 363, 366 के साथ धारा 372, 373 भादवि का भी उपयोग किया जाना चाहिये।

- आईपीसी 372 - वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को वेपना

- 373 - अप्राप्तवय को अपहृत कर लेना

गुम या अपहृता महिला के मिलते ही उसका कथन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के समक्ष कराकर उसे उसके माता पिता को सौंप देना चाहिये। यदि उसके परिजन उसे साथ न ले जाना चाहे तो उसके नारी निकेतन या निराश्रित महिला गृह में भिजवा दिया जाना चाहिये। गुम अथवा अपहृता महिलाओं के प्रकरणों में इस संभावना की सूक्ष्मता से समीक्षा की जानी चाहिये कि प्रकरण इन युवतियों के कय-विकय का तो नहीं है। ऐसे प्रकरणों में धारा 363, 366 के साथ धारा 372, 373 भादवि का भी उपयोग किया जाना चाहिये।

संदर्भ सूची

- [1] Indian Penal Code, 1860, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4219/1/THE-INDIAN-PENAL-CODE-1860.pdf> (last visited Mar 27, 2021).
- [2] Bharti Dand Sanhit, *Surya Narayan Mishra*, Central Law Agency, ed. 3.
- [3] Crime against women in India with reference to the Indian Penal Code, *Sarmah, Mridula; Mahanta, Subhasish*, International Multidisciplinary Journal. 2017, Vol. 6 Issue 2, pp. 96-102.
- [4] Violence against women: Where are the solutions? *Indira Sharma*, Indian Journal of Psychiatry, doi: 10.4103/0019-5545.158133
- [5] Supreme Court on Penal Code, *Surendra Malik and Sudeep Malik*, Vol. 2, pp. 48-63, Eastern Book Co. 2019
- [6] Women & Criminal Law, *S. C. Tripathi*, Edition 2016 by Central Law Publication.
- [7] Women & Criminal Law - *Basanti Lal Babel*, Central Law Publication
- [8] Criminology and Penology with Victimology- *Paranjape*, Central Law Publication
- [9] Manual for Handling Crime against Women, *Madhya Pradesh Police Conference*, 2017.
- [10] The Indian Penal Code, 1860, *Ratanlal and Dhirajlal*, Lexis Nexis, 2017 Ed.